पाठ :

श्रम विभाजन और जाति-प्रथा

मेरी कल्पना का आदर्श समाज

प्रश्न जाति प्रथा को श्रम-विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे आंबेडकर के क्या तर्क हैं?

उत्तर : जाति प्रथा को श्रम-विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के तर्क अग्रलिखित हैं।

(i) भारतीय हिंदू समाज में जाति प्रथा श्रम-विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यह श्रम के आधार पर विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊँच-नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है।

(ii) जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत स्वभाविक विभाजन नहीं है। यह व्यक्ति की निजी क्षमता की अपेक्षा माता-पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात् गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देता है।

(iii) जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बाँध देती है। चाहे उसे पेशे से उसके भूखे मरने की स्थिति ही क्यों न उत्पन्न हो जाए इस प्रकार जाति तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है।

प्रश्न: जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रहीं है? यह स्थिति आज भी है?

उत्तर: जाति प्रथा मनुष्य को जीवनभर के लिए एक ही पेशे में बाँध देती है। भले ही यह पेशा उपर्युक्तन होने या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनिक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। किन्तु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी ऐसे व्यक्ति को पारंगत होने पर भी ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैत्रिक पेशा न हो।

किंतु आज स्थिति में परिवर्तन आ गया है। सरकार ने पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा निर्धारित कर दी है। ऐसे पदों पर केवल इन्हीं लोगों की नियुक्ति हो पाती है। इस प्रकार वे भी अन्य वर्गों की भाँति समानता का अधिकार पा चुके हैं।

प्रश्न: लेखक के मत से 'दास्ता' की व्यापक परिभाषा क्या है?

उत्तर: लेखक के मतानुसार 'दास्ता' केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता बल्कि उसमें वह स्थिति भी सम्मिलित है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के

लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार की परतन्त्रता की स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पायी जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है, जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं।

शारीरिक वंश - परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद आंबेडकर 'समता' को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं?

डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार समाज में शारीरिक वंश परम्परा तथा सामाजिक वंश परंपरा की असमता को, तो सभी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु मनुष्य के अपने प्रयत्न के अनुसार प्राप्त की गई असमता को मानने के लिए तैयार नहीं होते। डॉ. अंबेडकर के अनुसार व्यक्ति की दृष्टि से असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। किंतु इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और कार्य-कुशल व्यक्तियों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए।

सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और

जीवन - सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं?

डॉ. अंबेडकर द्वारा दिए गए इस तर्क से पूर्णतः सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि एक आदर्श समाज की रूप-रेखा समाज के दलित और शोषित वर्ग के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उत्थान द्वारा ही तैयार की जा सकती है। ऐसे समाज में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्हें समान रूप से साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए।

आदर्श समाज के तीन तत्वों में से एक "भ्रातृता" को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस 'भ्रातृता' शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगी?

आदर्श समाज में तीन तत्वों में एक भाईचारे को रखकर लेखक ने आदर्श समाज में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया है। ऐसे भ्रातृता शब्द से हम पूर्णतः सहमत नहीं हैं क्योंकि लोकतंत्र में सभी वर्गों की स्त्रियों और पुरुषों की समान रूप से भागीदारी होनी चाहिए। इसके अभाव में आदर्श समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज की इस प्रकार की असमान भावना के लिए भाईचारे के स्थान पर भाईबहनता शब्द को उचित माना जा सकता है।

A.C.C

SCHOOL IN-CHARGE
Vivekanand Vidya Vihar
Hr. Sec. School, Biaora
Dise Code- 23300227812